जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

दिनांकः 08.04.2022

प्राचार्य एवं केन्द्राध्यक्षों हेतु निर्देश

विश्वविद्यालय के क्षेत्रान्तर्गत स्थित समस्त परीक्षा केन्द्रों के प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष के पालनार्थ सूचित किया जाता है कि –

1. प्रत्येक प्राचार्य एवं केन्द्राध्यक्ष अनिवार्य रूप से परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित रहेंगे।
2. यदि ऐसी कोई जानकारी प्राप्त होती है कि कोई प्राचार्य, केन्द्राध्यक्ष परीक्षा के समय उपस्थित नहीं है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
3. प्राचार्य एवं केन्द्राध्यक्ष का यह दायित्व है कि वे परीक्षा केन्द्र पर रोशनी, हवा, पेयजल, पर्याप्त एवं उचित बैठक व्यवस्था, साफ–सुथरी टॉयलेटस एवं प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करें।
4. प्राचार्य एवं केन्द्राध्यक्ष यह भी सुनिश्चित करें कि जिस कक्ष में परीक्षा हो रही हो, उस कक्ष की दीवारों पर विषय से संबंधित कोई चार्ट न हो तथा ब्लेकबोर्ड एवं दीवारों पर कुछ भी अंकित न हो।
5. यदि विश्वविद्यालय द्वारा भेजे गये उड़नदस्ते द्वारा कोई नकल प्रकरण बनाया जाता है, तो उस प्रकरण के संबंध में समस्त उत्तरदायित्व कक्ष में उपस्थित वीक्षक का होगा। वीक्षक यह भी सुनिश्चित करें कि कोई भी छात्र/छात्रा कक्ष में मोबाइल अथवा अन्य किसी प्रकार का इलेक्ट्रोनिक गजट लेकर न जा पावे। यदि परीक्षा केन्द्र पर कोई छात्र मोबाइल इत्यादि लेकर आता है तो उसे कक्ष के बाहर ही सुरक्षित रखे जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
6. प्राचार्य एवं केन्द्राध्यक्ष यह भी सुनिश्चित करें कि प्रत्येक पाली की परीक्षा समाप्ति के उपरान्त कक्ष की साफ–सफाई अनिवार्य रूप से हो।
7. यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा समाप्त होने के पूर्व अपनी उत्तरपुस्तिका जमा कर कक्ष से बाहर आ जाता है तो केन्द्राध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि वह उस पाली की शेष परीक्षा संचालन अवधि में उक्त छात्र को परीक्षा कक्षों से दूर रहने हेतु अनिवार्य रूप से निर्देशित करे।

08/04/22

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपिः

श्री संजय बरतरिया, आई.टी.सेल उक्त सूचना को बेवसाइट पर अपलोड करावें।